राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5423/2007

श्रीमती खातू पत्नी श्री मांगे खां, मृतक , विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से
1/1 मगनू खां, पुत्र मोहम्मद हुसैन, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी 166, वार्ड संख्या 3, 5, एस.ए.डब्ल्यू.एम.यू. सत्तासर, छतारा, बीकानेर।

1/2 अनवारी, पत्नी इकबाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 11, गाँव - केलन, रावलपुरा, केलन, बीकानेर।

1/3 शौकत अली, पुत्र मंगू खां, उम्र लगभग 45 वर्ष, वार्ड संख्या 2, सतासर, बीकानेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य मार्फ़त सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चरण II, प्रभाग I, बीकानेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
5. कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खाजूवाला, बीकानेर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री पंकज शर्मा

प्रतिवादी की ओर से : श्री मुकेश दवे, स.रा.अ.
के साथ श्री तनुज जैन

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/02/2025

दिवंगत याचिकाकर्ता श्रीमती खातू के विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन (आई.ए. संख्या 1/2025) में बताए गए कारणों से, इसे अनुमति दी जाती है। विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया जाता है और संशोधित वाद शीर्षक भी रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

मुख्य मामला आज ही सुनवाई के लिए लिया जाता है।

<u>मुख्य मामला</u>

1. याचिकाकर्ता श्रीमती खातू (जिनकी मृत्यु हो चुकी है) ने प्रत्यर्थियों को उनके सेवा रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि को सही करने का निर्देश देने और अधिवर्षिता आदेश दिनांक 08.05.2007 (अनुलग्नक 1) को रद्द करने की मांग करते हुए इस न्यायालय का रुख किया।

2. संक्षेप में, याचिका में बताए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता श्रीमती खातू (मृतक) को शुरू में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 21.10.1995 (अनुलग्नक 6) के आदेश द्वारा, उनकी जन्म तिथि 01.06.1947 बताते हुए, 01.04.1994 से प्रभावी, बेलदार के पद पर अर्ध-स्थायी दर्जा दिया गया था।

2.1. जन्म तिथि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 22.05.2003 (अनुलग्नक 7) के संचार के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय से उनकी जन्म तिथि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, कुछ नहीं हुआ और दिनांक 08.05.2007 (अनुलग्नक 1) के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को 31.05.2007 से प्रभावी अधिवर्षिता देने का आदेश दिया गया था और वह तदनुसार सेवानिवृत्त हो गई थी।

2.2. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला है कि उनकी सही जन्म तिथि 15.04.1965 है, जो 06.05.2005 को जारी जन्म प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 4) और मतदाता पहचान पत्र (अनुलग्नक 5) से स्पष्ट है। राज्य सरकार की कर्मचारी होने के नाते, याचिकाकर्ता 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होती, जो 30.04.2025 को होती। हालांकि, प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2007 है। इसलिए, यह वर्तमान याचिका है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

4. यह स्वीकार किया जाता है कि श्रीमती खातू (मृतक) को दिनांक 21.10.1995 (अनुलग्नक 6) के आदेश द्वारा, उनकी जन्म तिथि 01.06.1947 बताते हुए, 01.01.1994 से प्रभावी अर्ध-स्थायी दर्जा दिया गया था, और उनकी ओर से जन्म तिथि में बदलाव के लिए पहली बार कोई कार्रवाई, जैसा कि याचिका में जोर देकर कहा गया है, वर्ष 2003 में अभ्यावेदन/आवेदन के माध्यम से की गई थी।

5. केवल इसी आधार पर, मुझे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड बनाम दीनाबंधु मजूमदार, (1995) 4 एस.सी.सी. 172** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

> *"10.* हमारी राय में, सरकार या उसके उपकरणों के कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा के अंतिम चरण में और जब वे अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं, तब किए गए रिट आवेदनों पर उच्च न्यायालयों द्वारा विचारण अनुचित है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी कर्मचारी जन्म तिथि के सुधार का अधिकार दावा नहीं कर सकता है और सरकार या उसके उपकरणों के कुछ कर्मचारियों की जन्म तिथियों के सुधार के लिए ऐसे रिट आवेदनों पर विचारण उनके कनिष्ठों की पदोन्नति की संभावनाओं को क्षति पहुंचाएगा और अन्य कर्मचारियों के लिए अपनी सेवा करियर के अंतिम चरण में केवल अपनी सेवानिवृत्ति को रोकने के एकमात्र उद्देश्य से समान आवेदन करने के लिए एक अवांछित प्रोत्साहन साबित होगा। संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालयों में निहित क्षेत्राधिकार की असाधारण प्रकृति, हमारी सुविचारित राय में, सरकार या उसके उपकरणों के कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार की गई जन्म तिथियों के अनुसार उनकी पात्रता की अवधि से आगे सेवा में जारी रखने के लिए नहीं है, जिसे तथाकथित 'नए पाए गए' सामग्री पर भरोसा करते हुए किया जाए। तथ्य यह है कि सरकार या उसके उपकरण का एक कर्मचारी जो दशकों से सेवा में है, जिसने अपने नियोक्ता द्वारा सही स्वीकार की गई अपनी जन्म तिथि पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है, जब अचानक अपने सेवा करियर के अंतिम चरण की ओर अपने सेवा रिकॉर्ड में अपनी जन्म तिथि के सुधार की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट आवेदन के साथ आता है, तो हमारी राय में, कर्मचारी द्वारा इस मामले में आपत्ति न उठाने का आचरण ही, उच्च न्यायालय के लिए, मौन स्वीकृति, अनुचित देरी और विलंब के आधार पर ऐसे आवेदनों पर विचारण न करने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार को कभी भी उचित और न्यायिक रूप से प्रयोग किया गया नहीं कहा जा सकता है यदि वह ऐसे रिट आवेदन पर विचारण करता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी, जिसे अपने "सेवा और अवकाशरिकॉर्ड" में अपनी जन्म तिथि के संबंध में शिकायत थी, वह उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का लाभ उठाकर इसे सही करवाने के लिए अपनी सेवा करियर के अंतिम चरण तक वास्तव में प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सामान्य तौर पर उच्च न्यायालयों को, अपने विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सरकार या उसके उपकरण के कर्मचारी द्वारा, उसकी सेवा के अंतिम चरण की ओर, अपने

"सेवा और अवकाश रिकॉर्ड" या सेवा रजिस्टर में दर्ज अपनी जन्म तिथि के सुधार की मांग करते हुए दायर किए गए रिट आवेदन/याचिका पर विचारण नहीं करना चाहिए, जिसका घोषित उद्देश्य उसकी सेवानिवृत्ति की सामान्य अवधि से आगे सेवा में जारी रखना हो।

13. जब हम प्रतिवादी *1* के मामले की ओर मुड़ते हैं, तो उसने अपनी *36* साल की सेवा के दौरान अपीलकर्ता *1* के साथ अपने "सेवा और अवकाश रिकॉर्ड" में दर्ज अपनी जन्म तिथि या आयु पर आपत्ति नहीं उठाई। जब प्रतिवादी *1* द्वारा दायर रिट आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किया गया, तो यह पता लगाना मुश्किल है कि उसने इस मामले में अपने विवेक का न्यायिक या उचित रूप से प्रयोग किया है, और केवल उसी कारण से अपील पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय, जिसके द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की गई है, हस्तक्षेप करने और अपास्त करने का आह्वान करता है।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि याचिकाकर्ता इस अवधि के दौरान मूक दर्शक क्यों बनी रही, कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है।

7. याचिका में दस्तावेजी प्रमाण के बिना एक निराधार दावा है कि वर्ष 2003 में याचिकाकर्ता ने अपनी जन्म तिथि में सुधार की मांग करते हुए विभाग में एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता इन सभी वर्षों तक चुप क्यों रही, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने अपनी अपरिहार्य स्थिति को मौन स्वीकृति दे दी थी।

8. इसके अलावा, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के विधिक प्रतिनिधि संभवतः विवादित तथ्यों को स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं, जिनका दावा याचिकाकर्ता ने किया था क्योंकि याचिका कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है।

9. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है।

10. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निपटारा किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति

144-एस.पी./एस.के.एम./-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़